न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 303/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– गोरखाराम पुत्र गुलाराम 2– खेताराम पुत्र गोरखाराम जाति भील निवासीगण ग्राम सोमेसर तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर		1– हरचंदराम पुत्र पांचाराम जाति भील निवासी ग्राम सोमेसर, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 2– खेताराम पुत्र अचलाराम 3– भोमाराम पुत्र अचलाराम 4– विक्रम पुत्र इन्द्राराम 5– अनिता पुत्री इन्द्राराम 6– मिथ्यादेवी पत्नी इन्द्राराम (प्रत्यर्थी संख्या 4 से 5 नाबालिग जरिये माता)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 7–5–2018 जो उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा प्रकरण संख्या 32/2018 अनवान हरचंदराम बनाम सरकार मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 2–11–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 हरचंदराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का बाबत पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान करवाने का पेश कर कथन किया कि उसके खातेदारी की भूमि मौजा सोमेसर तहसील शेरगढ के खसरा नंबर 9 रकबा 89 बीघा 12 बिस्वा भूमि मे से 1/4 हिस्से की भूमि की पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान नही होने के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है तथा पडौसी खातेदार अपीलांट के खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने को आमदा है इसलिए उक्त भूमि की पैमाईश कर पत्थरगढी के आदेश पारित करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र. को स्वीकार करते हुए तहसीलदार शेरगढ को खेत खसरा नंबर 9 मौजा सोमेसर मे पत्थरगढी कर नेखमबंदी करने के आदेश पारित कर दिये । जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि के संबंध मे बंडवाडे का वाद रेस्पो0 संख्या 1 के पिता पांचाराम ने सहयक कलेक्टर शेरगढ के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था, जो विचाराधीन है परंतु बंटवाडा करवाये बिना ही 1/4 की भूमि के पत्थरगढी करने के आदेश पारित कर दिये, जो विधि अनुसार नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार को ही पक्षकार बनाया, अपीलांट एवं किसी भी पडौसी खातेदार को पक्षकार नही बनाया जबकि रेकर्डेड खातेदार काश्तकार को मुकदमा पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे तामिल पर्याप्त नही होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार शेरगढ का जवाब प्रस्तुत हुआ, जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया कि पडौसी खातेदार काश्तकार को पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर भी गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र पेश होने से अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया था जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नही किया जाना चाहिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–5–18 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गयें निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि सभी खातेदारान के बीच सहमति से बंटवाडा हो रखा है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो संख्या 1 की खातेदारी की भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का भी अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त

अपील के सलंग्न जमाबंदी संवत 2073–2076 ग्राम सोमेसर के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलांटगण अपीलाधीन भूमि ग्राम सोमेसर तहसील शेरगढ के खसरा नंबर 9 रकबा 89.12 बीघा भूमि के 1/2 हिस्से के सह खातेदारान है परंतु अपीलाधीन भूमि का बंटवाडा कराये बिना रेस्पो. संख्या 1 हरचंदराम ने अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र मे अपीलाधीन भूमि के अन्य सहखातेदारान एवं पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना ही केवल तहसीलदार शेरगंढ को पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार शेरगढ की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र की पुश्त पर ही प्रस्तुत हुआ जिस जवाब के बिन्दु संख्या 2 मे यह स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि "उक्त खसरे की भूमि विवादग्रस्त है तथा पत्थरगढी के आदेश से पूर्व पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाकर उनको सुना जाना आवश्यक है ।" परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसको नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार शेरगढ को अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 9 मे पत्थरगढी कर नेखमबंदी की कार्यवाही बाबत निर्देशित कर दिया, जो विधिविरूद्ध एवं न्यायसंगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–5–2018 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 9 रकबा 89.12 बीघा भूमि के सभी सहखातेदारो तथा उससे लगते अन्य पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाते हुए उन्हे नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनकी उपस्थिति मे पहले सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करावे तथा उसके पश्चात विधि मे वर्णित प्रावधानो के मध्यनजर पुनः नये सिरे से नेखमबंदी बाबत आदेश पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 2–11–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर